मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय भोपाल

क्र.-डी-17/16/2018/14-3 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी,2019

प्रति,

1. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   वित्त विभाग,
   मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   सहकारिता विभाग
   मंत्रालय भोपाल

विषयः– जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा अन्य संबंधित विषयों बाबत।

—

जैसा कि आपको विदित है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना मध्यप्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें समय सीमा में कार्य संपादित कराया जाना आवश्यक है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 15 जनवरी, 2019 से पात्र किसानों की आधार दर्ज हरी सूची एवं गैर आधार दर्ज सफेद सूची का प्रदर्शन पोर्टल के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों और बैंक शाखाओं में कराया जाना निर्धारित किया गया था, जिसके लिये संस्थागत वित्त द्वारा सभी बैंकों की बैठक दिनांक 08 जनवरी, 2019 को ली जाकर उनको 37 कॉलम में जानकारी भरवाकर 11 जनवरी, 2019 तक MPonline को प्रेषित करना थी। इस बाबत प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भी उनके पत्र दिनांक 08.01.2019 तथा 09.01.2019 को सभी बैंकों को शासन निर्देशानसुार सूची तैयार कर 11.01.2019 की रात्रि तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ताकि MPonline द्वारा नियत समयावधि मं सूचियों को पोर्टल पर दर्ज/अपलोड कर जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराई जा सके। किसी भी बैंक के द्वारा नियत समयावधि में सूची उपलब्ध नहीं करायी गई और अधिकांश बैंकों द्वारा सूची दिनांक 14–15 जनवरी, 2019 को MPonline को उपलब्ध कराई गई और कुछ बैंकों की आज दिनांक तक पूर्ण सूचियां प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त प्राप्त सूचियों को पोर्टल पर अपलोड कराने पर निम्न कमियां देखने को मिली :—

(1) अनेक बैंकों द्वारा अधूरी अथवा अपूर्ण सूचियां उपलब्ध कराई है, जिससे काफी डेटा मिसमैच परिलक्षित हुआ।

(2) शाखाओं के आईएफएससी कोड डाला नहीं है अथवा गलत डाले गये हैं जिससे संबंधित शाखा/ग्राम पंचायत पर उक्त हितग्राहियों की सूची प्रदर्शित नहीं हो पायी।

(3) प्रदाय किए गए जिले की कोडिंग में भी त्रुटियां हैं, जिसके कारण एक जिले की ब्रांच दूसरे जिले में प्रदर्शित हो रही है।

(4) निर्देशों के बावजूद भी को—आपरेटिव बैंक की जानकारी पृथक—पृथक फांट में उपलब्ध करायी गई, जिस कारण से उनकी सूची को अपलोड करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

उक्त योजनान्तर्गत कृषक खातों की सूची त्रुटि रहित निर्धारित प्रारूप में नियत समयावधि में उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित बैंक तथा नोडल अधिकारी, वित्त विभाग की हैं। अभी भी अनेक जिलों से प्रेषित सूची में कमियां बतलायी जा रही है, जिनको संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारियों को अग्रेषित किया जा रहा है।

द्वितीय चरण में 25.01.2019 से 05.02.2019 तक आवेदन प्राप्त कर पोर्टल पर चढ़ाये जाने का कार्य चालू हो चुका है। दिनांक 26.01.2019 को आवेदकों की सूची ग्राम सभा में पढी जाना है और जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन 25.01.2019 तक जमा नहीं किए गए हैं उनके नाम भी पढ़े जाने हैं इसके लिये पंचायत/शाखा स्तर पर पूर्ण सूचियों का उपलब्ध होना अत्यावश्यक है।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें तथा विभिन्न बैंकों के मध्य समन्वय के लिये तथा जिलों से जो भी कठिनाइयां/समस्याएं प्राप्त हो रही हैं उनके निराकरण के लिये किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामांकित करने का कष्ट करें।

(डॉ0 राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ.क. डी-17/16/2018/14-3 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी,2019

प्रतिलिपि :–

अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल

25/1/19

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग